राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 16789/2022

सुरेंद्र सिंह पुत्र श्री गिर्राज सिंह, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम दयोपुरा, पुलिस थाना सेवर, जिला भरतपुर (निलंबित हेड कांस्टेबल संख्या 1334)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार-सचिव गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज, भरतपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भरतपुर।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री सुरेंद्र सिंह,
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री रूपिन काला, जीसी

माननीय न्यायमूर्ति सुदेश बंसल

आदेश

17/03/2023

रिपोर्टेबल

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने अपने दिनांक 02.11.2018 के निलंबन आदेश को चुनौती दी है और साथ ही पुलिस अधीक्षक, भरतपुर द्वारा पारित दिनांक 04.05.2022 के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें याचिकाकर्ता को निलंबन रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

2. प्रासंगिक तथ्य, संक्षेप में, यह है कि याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन, उद्योग नगर, भरतपुर में हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात रहते हुए, राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 (इसके बाद संक्षेप में "1958 के सीसीए नियम") के नियम 13 के अंतर्गत तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुशासनात्मक जांच के आधार पर दिनांक 02.11.2018 (अनु.4) के आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था।

इसके बाद, प्रारंभिक जांच के आधार पर, एक एफआईआर संख्या 323/2018 दिनांक 05.11.2018, पुलिस स्टेशन उद्योग नगर में दर्ज की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को अपने पद का दुरुपयोग करके अवैध हथियारों की तस्करी के एक आपराधिक मामले में एक व्यक्ति करण सिंह को साजिश रचने और एक आरोपी के रूप में फंसाया गया था। याचिकाकर्ता को इस आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। याचिकाकर्ता के विरूद्ध एफआईआर संख्या 323/2018 की जांच पूरी होने के बाद, अभियोजन की मंजूरी दी गई और आईपीसी की धारा 193, 195, 365 और 120-बी और और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3/25 और 29। के तहत अपराधों के लिए दिनांक 04.01.2019 को आरोप-पत्र दायर किया गया। वर्तमान में, याचिकाकर्ता के विरूद्ध सत्र मामला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भरतपुर के न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्ष्य के चरण में लंबित है। आपराधिक मुकदमे के अलावा, रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 14.05.2019 के आरोपों का ज्ञापन दिया गया था और सीसीए नियम 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि पूर्ण जांच के बाद, अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त हो गई है और दिनांक 16.04.2022 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को सजा दी गई है, जिसमें संचयी प्रभाव से तीन वार्षिक ग्रेड वेतन-वृद्धि रोक दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने दिनांक 16.04.2022 के सजा आदेश को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती दी, लेकिन गुण-दोष के आधार पर अपील को आगे नहीं बढ़ाया जा सका और उसे खारिज कर दिया गया और उसे दी गई सजा को अंतिम रूप दे दिया गया।

3. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार करते हुए दिनांक 02.11.2018 के आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया था और 16.04.2022 को याचिकाकर्ता के विरूद्ध संचयी प्रभाव से तीन वार्षिक ग्रेड वेतन-वृद्धि रोकने के साथ जुर्माना लगाया गया था। इसलिए उसके बाद उनका निलंबन जारी रखना पूरी तरह से अवैध और अनुचित है। याचिकाकर्ता ने ***भारत संघ बनाम अशोक कुमार अग्रवाल [(2013) 16 एससीसी 147],*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि निलंबन आदेश केवल वहीं पारित किया जाना चाहिए जहां अपराधी के विरूद्ध मजबूत प्रथम दृष्टया मामला हो, और यदि आरोप साबित हो जाते हैं, तो आम तौर पर एक बड़ी सजा दी जाएगी। सज़ा अर्थात सेवा

से हटाया जाना या बर्खास्तगी, या पद में कमी आदि।

4. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके निलंबन को रद्द करने से इनकार करना केवल याचिकाकर्ता के विरूद्ध एक आशंका है कि वह सत्र परीक्षण में अभियोजन पक्ष के गवाहों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, पूरी तरह से मनमाना है क्योंकि ऐसी आशंका पैदा करने के लिए प्रत्यर्थियों के सामने कोई साक्ष्य या सामग्री नहीं है और यह पूरी तरह से मनमाना है, साथ ही निराधार भी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह पहले ही 3 साल से अधिक समय तक निलंबन झेल चुका है और उसके विरूद्ध आपराधिक मामले में चालान दायर करने के बाद भी एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार, वह फिर से बहाल होने का हकदार है। याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि उनकी सेवानिवृत्ति 31.07.2023 को होने वाली है, इसलिए, उनका निलंबन प्रत्यर्थियों द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए था, हालांकि, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने दिनांक 04.05.2022 के आदेश के माध्यम से निलंबन रद्द करने से इनकार कर दिया है, जो मनमाना, अवैध और कानून के विरूद्ध है। याचिकाकर्ता ने ***तमिलनाडु सरकार बनाम प्रोमोद कुमार, आईपीएस [एआईआर (2018) एससी 4060]*** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है।

5. प्रत्यर्थियों ने रिट याचिका का उत्तर दायर किया है और इस तथ्य पर विवाद नहीं किया है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही दिनांक 16.04.2022 को दंड आदेश पारित करने के साथ समाप्त हो गई है, हालांकि, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध आपराधिक मामले की सुनवाई के बाद से गंभीर प्रकृति के अपराध के संबंध में मामला लंबित है, इसलिए याचिकाकर्ता का निलंबन रद्द करने को उचित ही अस्वीकार किया गया है। उत्तर में एक आपत्ति भी उठाई गई है कि याचिकाकर्ता के पास 1958 के सीसीए नियमों के नियम 22 और 34 के तहत निलंबन के आदेश के विरूद्ध अपील/समीक्षा का वैकल्पिक उपाय है, इसलिए रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

6. मामले पर सुनवाई की गई और विचार किया गया।

7. सर्वप्रथम, यहां यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि याचिकाकर्ता ने पहले भी एक एसबीसीडब्ल्यूपी नंबर 7676/2020 को दायर की थी, जिसमें उनके निलंबन आदेश दिनांक

02.11.2018 को चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 10.03.2022 को इस निर्देश के साथ निपटारा किया गया था कि प्रत्यर्थियों को ***अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ [(2015) 3 एससीसी 291]*** के मामले में निर्धारित कानून के मद्देनजर और 1958 के सीसीए नियमों के नियम 13(5) को ध्यान में रखते हुए निलंबन रद्द करने के याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जाए। साथ ही जरूरत पड़ने पर याचिकाकर्ता को नई रिट याचिका दायर करने की आजादी दी गई।

8. गुण-दोष के आधार पर रिट याचिका पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय रिट याचिका पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करना और याचिकाकर्ता को सीसीए नियम 1958 के नियम 22 और 34 के तहत अपील/समीक्षा के वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने की अनुमति देना उचित समझता है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि निलंबन आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी प्रत्यर्थी नंबर 2 है। निलंबन आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा पहले एसबीसीडब्ल्यूपी नंबर 7676/2020 के माध्यम से चुनौती दी गई थी, जिसमें प्रत्यर्थी नंबर 2 भी पक्ष प्रत्यर्थियों में से एक था और इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 10.03.2022 के आदेश के तहत रिट याचिका का निपटारा कर दिया। प्रत्यर्थियों को साठ दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के निलंबन को रद्द करने के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया, साथ ही जरूरत पड़ने पर याचिकाकर्ता को नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई। दिनांक 10.03.2022 का आदेश सुनवाई के बाद और प्रत्यर्थी संख्या 2 सहित दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पारित किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार किया गया, लेकिन आदेश दिनांक 04.05.2022 द्वारा निलंबन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया गया है।

9. यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता का मामला समीक्षा समिति के समक्ष रखा गया था, और दिनांक 25.01.2022 की बैठक में विचार किया गया था। समीक्षा समिति की रिपोर्ट को अनुबंध आर/4 के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है। समीक्षा समिति की रिपोर्ट के अवलोकन से, यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता के मामले को राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 07.07.2010 के मद्देनजर समीक्षा समिति द्वारा निलंबन रद्द करने पर विचार करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जहां दोषी कर्मचारी को एक अवधि के लिए

निलंबन का सामना करना पड़ा था। तीन वर्ष से अधिक समय हो चुका है और न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद एक वर्ष की अवधि भी समाप्त हो चुकी है, तो उनके मामले में निलंबन रद्द करने पर विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का मामला, तथ्यों के आधार पर, दोनों मानदंडों को पूरा करता है, हालांकि, बिना कोई उचित कारण बताए अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रत्यर्थियों की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि समीक्षा समिति की बैठक कब निर्धारित की गई थी और क्या याचिकाकर्ता का मामला दोबारा समीक्षा समिति के समक्ष रखा गया था या नहीं। इसके अलावा, प्रत्यर्थी कोई भी औचित्य देने में विफल रहे कि इस न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर, पूर्ववर्ती एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 7676/2020 में, प्रत्यर्थियों द्वारा निलंबन को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थी नंबर 2, महानिरीक्षक पुलिस, अपीलीय प्राधिकारी भी एक पक्ष है, अपीलीय प्राधिकारी ने इस मुद्दे पर विचार क्यों नहीं किया और आक्षेपित आदेश दिनांक 04.05.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा ही पारित किया गया है।

10. यह एक ऐसा मामला है जहां या तो अपीलीय प्राधिकारी ने स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है या प्रत्यर्थी नंबर 3 ने अपीलीय प्राधिकारी या समीक्षा समिति के समक्ष मामले को संदर्भित करने का विकल्प नहीं चुना है और फिर याचिकाकर्ता को इस पर विचार न करके पीड़ित किया गया है। अपीलीय प्राधिकारी यह दलील नहीं दे सकता कि याचिकाकर्ता को अपने निलंबन आदेश के विरूद्ध और फिर समीक्षा के लिए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष संपर्क करना चाहिए था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि समीक्षा समिति ने 25.01.2022 को अपनी बैठक में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया और बिना किसी अच्छे कारण के मामले को स्थगित कर दिया। यह सच है कि समीक्षा समिति अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल सिफारिश करने के लिए करती है, फिर भी, ऐसे विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, जहां अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ समीक्षा समिति ने याचिकाकर्ता के निलंबन को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, याचिकाकर्ता को उसके निलंबन को रद्द करने के लिए दोबारा अपीलीय प्राधिकारी या समीक्षा प्राधिकारी के समक्ष जाने के लिए बाध्य करना उचित नहीं होगा। विशेष रूप से पिछली रिट याचिका में, याचिकाकर्ता को जरूरत पड़ने पर नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी। इसलिए, प्रत्यर्थियों की प्रारंभिक

आपत्ति को खारिज कर दिया गया है। प्रत्यर्थियों की ओर से वैकल्पिक साधन के संबंध में कोई अन्य तर्क नहीं उठाया गया है।

11. वर्तमान मामले के गुणागुण के आधार पर, यह विवाद में नहीं है कि दिनांक 02.11.2018 का आक्षेपित निलंबन आदेश अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार करते हुए पारित किया गया था। इसके बाद, दिनांक 14.05.2019 को आरोपों का ज्ञापन याचिकाकर्ता को दिया गया और 1958 के सीसीए नियमों के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त की गई और याचिकाकर्ता को संचयी प्रभाव से तीन वार्षिक ग्रेड वेतन-वृद्धि रोकने के साथ दिनांक 16.04.2022 के आदेश के तहत दंडित किया गया। इस प्रकार, जिन आरोपों के कारण याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया था, याचिकाकर्ता पहले ही दंड भुगत चुका है और उसे अंतिम रूप दे दिया गया है, इसलिए, सजा आदेश में अनुशासनात्मक कार्यवाही की समाप्ति के बाद, याचिकाकर्ता के निलंबन को जारी रखना मनमाना और अनुचित है।

12. जहां तक एफआईआर संख्या 323/2018 के संबंध में आपराधिक मामले की सुनवाई लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता के निलंबन को जारी रखने का सवाल है, दिनांक 04.05.2022 के आदेश में, प्रत्यर्थियों ने ऐसे किसी उदाहरण, साक्ष्य या सामग्री का संकेत नहीं दिया है जिससे यह धारणा बने कि याचिकाकर्ता के निलंबन को रद्द करने की स्थिति में, याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक मामले में अभियोजन साक्ष्य/गवाहों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है। दिनांक 04.05.2022 के आदेश में निलंबन रद्द करने से इनकार करने की जो आशंका व्यक्त की गई है, वह पूरी तरह से अनुमान और काल्पनिक है। रिट याचिका के उत्तर में भी प्रत्यर्थी रिकॉर्ड पर कोई ठोस या ठोस साक्ष्य/सामग्री रखकर ऐसी काल्पनिक आशंका को प्रमाणित करने में असमर्थ हैं।

13. **तमिलनाडु सरकार बनाम प्रोमोद कुमार, आईपीएस [एआईआर 2018 एससी 4060],** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने *अजय कुमार चौधरी (सुप्रा.)* के मामले में पिछले निर्णय को ध्यान में रखते हुए, जहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में, दोषी कर्मचारी-प्रमोद कुमार, आईपीएस अधिकारी को मेसर्स पाजी फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिन पर प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 की धारा 3 और 4 और आईपीसी की धारा 420 के तहत निदेशकों से

पैसे की उगाही में *प्रथम दृष्टया* संलिप्तता के कारण 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस की हिरासत में रहने के कारण निलंबित कर दिया गया था, लंबे समय तक निलंबन पर नाराजगी जताई थी, आपराधिक कार्यवाही जारी रहने के दौरान भी निलंबन को रद्द कर दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले प्रत्यर्थी (अपराधी कर्मचारी) के विरूद्ध लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, हालांकि, मुद्दा यह है कि क्या पहले प्रत्यर्थी का लंबे समय तक निलंबन जारी रखना उचित है। साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने वाले पहले प्रत्यर्थी के विरूद्ध किसी भी सामग्री के अभाव में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसकी बहाली निष्पक्ष सुनवाई के लिए खतरा नहीं होगी।

14. इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता के निलंबन आदेश दिनांक 02.11.2018 को जारी रखना उचित नहीं है, जब अनुशासनात्मक जांच 16.04.2022 को पहले ही समाप्त हो चुकी है, और उसके बाद, याचिकाकर्ता के निलंबन को जारी रखना, जो उनकी सेवानिवृत्ति (31.07.2023 को देय) के कगार पर है, को मनमाना और अनुचित कहा जा सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता का दिनांक 02.11.2018 का निलंबन आदेश अपास्त किया जाने योग्य है और उसे अपास्त किया जाता है। चूंकि विभागीय कार्यवाही संचयी प्रभाव से तीन वेतन-वृद्धि रोककर सजा के आदेश के साथ 16.04.2022 को पहले ही समाप्त हो चुकी है, याचिकाकर्ता निलंबन अवधि के दौरान रोके गए देय वेतन का हकदार होगा। यह ध्यान रखना अप्रासंगिक नहीं होगा कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा राज्य को किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है, तो याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति और उसके विरूद्ध लंबित आपराधिक मुकदमे के समापन के बाद भी प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए हमेशा स्वतंत्र होंगे।

15. तदनुसार तत्काल रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

16. स्थगन आवेदन और अन्य लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(सुदेश बंसल), न्यायमूर्ति

SACHIN/83

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया

गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।